अतिमहत्वपूर्ण / समयबद्ध / विशेष ध्यान अपेक्षित

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी–मऊ

पत्रांक– 898-908/एम0डी0एम/2016–17 दिनांक– 22-10-2016

समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी,
जनपद मऊ।

सचिव, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0– 1387/79–6–2016 बेसिक शिक्षा अनुभाग–6 दिनांक 17 अक्टूबर,2016 एवं शासनादेश सं0– 1431/79–6–2016 दिनांक 20 अक्टूबर, 2016 द्वारा मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत छात्र–छात्राओं को भोजन ग्रहण करने के निमित्त 01 थाली व 01 गिलास उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है:–

उक्त शासनादेश द्वारा यह अवगत कराया गया है कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक के राजकीय, परिषदीय, सहायता प्राप्त विद्यालयों, तहतानियां मदरसों एवं राष्ट्रीय बाल श्रम योजनान्तर्गत संचालित विद्यालयों को उनमें अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की संख्या के अनुसार मध्यान्ह भोजन हेतु स्टेनलेश स्टील की एक थाली एवं एक गिलास का सेट प्रति छात्र उपलब्ध कराये का निर्णय लिया गया है। उन बर्तनों का उपयोग छात्रों के मध्यान्ह भोजन ग्रहण करने हेतु किया गया जायेगा तथा बर्तन विद्यालय में सुरक्षित रखे जायेंगे। बर्तनों के क्रय हेतु मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीयकृत रूप से निविदा प्रकिया कर क्रयादेश निर्गत किये जाने एवं बर्तनों की आपूर्ति जनपद/ब्लाक पर होने के पश्चात् भुगतान की कार्यवाही जनपद स्तर पर किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा बर्तन क्रय किये जाने हेतु रू0 113.30 प्रति थाली एवं गिलास के सेट की दर से 03 आपूर्तिकर्ताओं को क्रय आदेश निर्गत किया गया है, जिसमें से मै0 अभिलाषा कामर्शियल प्रा0लि0, जी0–69, सेक्टर–6, नोएडा, उ0प्र0 को जनपद मऊ में बर्तनों की आपूर्ति करनें हेतु क्रयादेश प्राधिकरण द्वारा निर्गत किया गया है।

बर्तनों की प्राप्ति एवं सत्यापन के सम्बन्ध में शासनादेश के बिन्दु–2 में निम्न दिशा–निर्देश दिये गये है :–

2.1 आपूर्तिकर्ताओं द्वारा विकासखण्ड/नगर क्षेत्र स्तर पर बर्तनों की आपूर्ति दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 तक कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2.2 विकासखण्ड/नगर क्षेत्र स्तर पर आपूर्ति प्राप्त किये जाने एवं विद्यालयों में वितरण हेतु सम्बन्धित खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। जनपद स्तर पर आपूर्ति/भुगतान संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे।

2.3 आपूर्तिकर्ताओं द्वारा एक विकासखण्ड/नगर क्षेत्र हेतु थाली व गिलास की पैकिंग पृथक–पृथक की जायेगी, तथा आवंटित समस्त बर्तनों की संख्या की आपूर्ति कन्साइनमेन्ट में की जायेगी।

2.4 आपूर्ति के समय संबंधित खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा चिन्हित नियत गोदाम/स्थान पर अनलोडिंग एवं स्टैकिंग करायी जायेगी तथा आपूर्तित बर्तनों की संख्या का सत्यापन किया जायेगा।

2.5 आपूर्ति के समय बर्तनों की अनलोडिंग एवं स्टैकिंग अर्थात वाहन से उतारनें एवं नियत गोदाम/स्थान पर व्यवस्थित रूप से रखे जाने की जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की होगी तथा इस पर होने वाले व्यय का वहन स्वयं आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जायेगा। परिवहन के समय हुई टूट–फूट की जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की होगी। ऐसी स्थिति में समस्त क्षतिग्रस्त बर्तन तत्काल ही आपूर्तिकर्ता को वापस कर दिये जायेंगे, जिनके सापेक्ष उनकी ही संख्या में बर्तन पुनः आपूर्तिकर्ता द्वारा विलम्बतम दो सप्ताह में डिलीवरी प्वाइण्ट पर उपलब्ध कराने होंगे।

2.6 मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा नमूने के रूप में थाली एवं गिलास का एक सेट जनपद/विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे की प्रथम दृष्टया आपूर्तित बर्तनों के डिजाइन एवं आकार का नमूने से मिलान किया जा सके। इन नमूनों के साथ ही मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा मारकीन का कपड़ा एवं लाख भी उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे की डिलीवरी प्वाइण्ट पर आपूर्तित बर्तनों में से जिलाधिकारी द्वारा गठित कमेटी द्वारा रेण्डम आधार पर दो सैम्पल के रूप में सील कर सुविधाजनक रूप से प्रयोगशाला जॉच हेतु मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को शीघ्र ही उपलब्ध कराये जा सकें।

2.7 मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण से प्राप्त नमूने से मिलान किये जाने के उपरान्त नोडल अधिकारी द्वारा आपूर्तिकर्ता को बर्तनों की प्राप्ति रसीद निर्धारित प्रारूप पर दो प्रतियों में उपलब्ध करानी होगी तथा उसकी एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखनी होगी।

प्राप्ति रसीद

दिनांक.....

1. आपूर्तिकर्ता का नामः–.....
2. विकास खण्ड/नगर क्षेत्र का नामः–.....
3. जनपद का नामः–.....
4. प्राप्त थाली की संख्याः–.....
5. प्राप्त गिलास की संख्याः–.....
6. कुल थाली एवं गिलास की संख्याः–.....

हस्ताक्षर–.....

नामः–.....

पदनामः–.....

ब्लाक/नगरक्षेत्रः–.....

2.8 विकासखण्ड/नगर क्षेत्र स्तर पर खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राप्त थाली व गिलास की स्टॉक एन्ट्री अलग–अलग की जानी होगी, जिसमें विद्यालयवार आवंटन/प्राप्ति का सम्पूर्ण ब्यौरा भी अंकित किया जाना होगा। उक्त एन्ट्री को संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराया जाना होगा।

बर्तनों की टैस्टिंग के सम्बन्ध में शासनादेश के बिन्दु–3 में निम्न दिशा–निर्देश दिये गये है :–

3.1 जनपद के जिलाधिकारी द्वारा एक कमेटी का गठन किया जायेगा, जिसके द्वारा विकासखण्ड/नगर क्षेत्र स्तर पर आपूर्तित बर्तनों में से प्रयोगशाला जॉच हेतु रैण्डम आधार पर सैम्पल एकत्रित कर सैम्पल को सील किया जायेगा। सील्ड सैम्पल को जिले स्तर पर एक कोड आवंटित किया जायेगा, ताकि सैम्पल की गोपनीयता बनी रहे। सील्ड/कोडेड सैम्पल को प्रयोगशाला में जॉच कराये जाने हेतु मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जायेगा।

3.2 गठित कमेटी द्वारा डिलीवरी प्वाइण्ट पर बर्तनों की आपूर्ति के 03 दिवस के भीतर रेण्डम आधार पर बर्तनों के 03 सेट टैस्टिंग हेतु एकत्रित किये जायेंगे, जिनमें से 02 सेट बर्तन सील कर एन0ए0बी0एल0 मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में जॉच कराये जाने हेतु मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध करानें होंगे तथा 01 सेट बर्तन खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में सील्ड कर सुरक्षित रखे जायेंगे।

3.3 जनपद द्वारा प्रत्येक विकासखण्ड/नगर क्षेत्र के सैम्पल को एक विशिष्ट कोडिंग दी जानी होगी, जिसका निर्धारण जिलाधिकारी/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जायेगा। यह कोडिंग मारकीन के कपड़े पर परमानेन्ट मार्कर से अंकित किया जायेगा। मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा प्रयोगशालाओं एवं टैस्टिंग चार्जेज का निर्धारण किया जाएगा। मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा समस्त सैम्पल की प्रयोगशाला में जॉच कराकर जनपदों को रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी। जॉच रिपोर्ट के आधार पर ही जनपदों द्वारा आपूर्तिकर्ता के बिल का भुगतान किया जायेगा।

3.4 सैम्पल टैस्टिंग में आने वाले व्यय का वहन आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जायेगा, जिसका समायोजन भुगतान हेतु प्रस्तुत अन्तिम बिल से किया जाना होगा। टैस्टिंग चार्जेज की सूचना जनपदों को पृथक से प्रेषित की जायेगी, जिससे जनपदों द्वारा आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान के समय उसकी कटौती की जा सके।

3.5 सैम्पल टैस्टिंग हेतु भेजे गये थाली एवं गिलास तथा सैम्पल टैस्टिंग के उपरान्त प्राप्त बर्तनों का विवरण भी विकासखण्ड/नगर क्षेत्र स्तर पर व्यवस्थित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाना होगा।

बर्तनों के वितरण के सम्बन्ध में शासनादेश के बिन्दु–4 में निम्न दिशा–निर्देश दिये गये है :–

4.1 सैम्पल टैस्टिंग हेतु सैम्पल एकत्रित करने के उपरान्त समस्त बर्तनों का विद्यालयवार वितरण कराये जाने की व्यवस्था खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

4.2 खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयवार वितरित बर्तनों की संख्या व प्राप्ति का विवरण सुरक्षित रखा जायेगा।

4.3 बर्तनों के विद्यालयवार वितरण हेतु विद्यालयवार बर्तनों की संख्या के निर्धारण के संबंध में जिला समन्वयक (एम0डी0एम0) से आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जाए।

बर्तनों के भुगतान के सम्बन्ध में शासनादेश के बिन्दु–5 में निम्न दिशा–निर्देश दिये गये है :–

5.1 आपूर्तिकर्ता द्वारा विकास खण्ड/नगर क्षेत्र स्तर पर आपूर्ति के पश्चात विकास खण्ड/नगर क्षेत्र में आपूर्ति का बिल सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलबध कराया जायेगा। जो सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को सम्बोधित होगा। बिल के साथ आपूर्तिकर्ता द्वारा सम्बन्धित खण्ड /नगर शिक्षा अधिकारी से प्राप्त रसीद की एक प्रति मूल रूप से संलग्न की जायेगी।

5.2 आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल के साथ अपने फर्म/कम्पनी के बैंक का नाम, खाते का विवरण जिसमे भुगतान की धनराशि हस्तानान्तरित की जानी होगी उपलब्ध कराया जायेगा।

5.3 आपूर्तिकर्ता से बिल प्राप्त होने अथवा सैम्पलटेस्टिंग संतोषतनक प्राप्त होने, (जो भी बाद में प्राप्त हो) के 30 दिन के अन्दर आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जायेगा।

5.4 आपूर्तिकर्ता को बिल के भुगतान किये जाने के समय सैम्पल टेस्टिंग शुल्क का समायोजन किया जाना होगा।

5.5 भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल के साथ आपूर्तिकर्ता द्वारा यह प्रमाणित किया जाना होगा कि उनके द्वारा निष्पादित अनुबन्ध की समस्त शर्ते एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन किया गया है।

5.6 01 थाली एवं 01 गिलास के सेट का मूल्य रू0–113.30 निर्धारित है। अतः भुगतान हेतु वर्तन के मूल्य का आगणन प्रति सेट वर्तन की दर से किया जायेगा।

कटौती के सम्बन्ध में शासनादेश के बिन्दु–6 में निम्न दिशा–निर्देश दिये गये है :–

6.1 आपूर्तिकताओं द्वारा विकास खण्ड/नगर क्षेत्र पर वर्तनों की आपूर्ति दिनांक 22 दिसम्बर 2016 तक कराये जाने की अपेक्षा की गयी है इस तिथि के उपरान्त कटौती का प्रावधान शासनादेश में किया गया है। (संलग्न)

6.2 यदि सैम्पल टेस्टिंग की रिपोर्ट संतोषजनक नही प्राप्त होती है तो आपूर्तिकर्ता को इस सम्बन्ध में सूचना के 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित विकास खण्ड/नगर क्षेत्र में आपूर्तित समस्त बर्तनों को आपूर्तिकर्ता द्वारा विद्यालय स्तर से प्राप्त कर उसके सापेक्ष उतने ही संख्या के वर्तन विद्यालय स्तर पर उपलब्ध कराये जाने होगें। इस सम्बन्ध में समस्त जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की होगी।

6.3 आपूर्तित वर्तनों की वारण्टी आपूर्तित तिथि से 01 वर्ष (12 माह) निर्धारित की गयी है। यदि वारण्टी अवधि के अन्तर्गत वर्तनो में मैनुफैक्चरिंग डिफेक्ट उत्पन्न होता है तो आपूर्तिकर्ता को इस सम्बन्ध में सूचना के 30 दिवस के अन्दर डफेक्टेड वर्तनो को आपूर्तिकता द्वारा विद्यालय स्तर से उठाया जाना होगा। तथा उसके सापेक्ष उतनी ही संख्या में वर्तन विद्यालय स्तर पर उपलब्ध कराये जाने होगे।

विद्यायल स्तर पर रख–रखाव के सम्बन्ध में शासनादेश के बिन्दु–7 में निम्न दिशा–निर्देश दिये गये है :–

7.1 विद्यालय स्तर पर व्यवस्थित स्टाक रजिस्टर में प्राप्त बर्तनों की स्टाक इन्ट्री की जानी होगी।

7.2 एम0डी0एम0 रजिस्टर के बाये पृष्ठ पर नोट–3 में दिनांक सहित प्राप्त बर्तनों की संख्या अंकित की जानी होगी।

7.3 एम0डी0एम0 रजिस्टर के भर जाने एवं नवीन एम0डी0एम0 रजिस्टर के प्रारम्भ किये जाने की दशा में प्रथम बाये पृष्ठ पर उक्तानुसार नोट–3 अंकित किया जाना होगा।

7.4 खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा स्टाक रजिस्टर एवं एम0डी0एम0 रजिस्टर दर्ज इन्ट्री को प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

7.5 निरीक्षणकर्ताओं द्वारा बर्तन की उपलब्धता का अपने निरीक्षण आख्या में अंकित किया जायेगा।

तद्कम में ही शासनादेश सं0– 1431/79–6–2016 दिनांक 20 अक्टूबर, 2016 के द्वारा यह भी निर्देश दिया गया है कि आपूर्तित बर्तनों का वितरण जनपद स्तर पर अभियान चलाकर दिनांक 28.10.2016 से जिलाधिकारी/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के दिशानिर्देश एवं मार्ग दर्शन में किया जायेगा। जनपद स्तर पर बर्तन वितरण के कार्यकम हेतु निम्न बिन्दुओं के दृश्टिगत कार्यकम तैयार कर आयोजित किया जाये :–

(1) जनपद के प्रत्येक तहसील स्तर पर कम से कम 05 विद्यालय परिसरों में दिनांक 28.10.2016 को बर्तन वितरण कार्यकम का आयोजन कराया जाये, जिसमें जनपद के जिलाधिकारी के नेतृत्व में मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी/समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार/खण्ड विकास अधिकारी, शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारीगण एवं जनपद के अन्य विभागों के अधिकारीगण विद्यालय में स्वयं उपस्थित होकर बर्तन वितरण कार्यकम में प्रतिभाग करेंगे। कार्यकम हेतु ऐसे स्थलों का चयन प्राथमिकता पर किया जाये, जिनमें प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय एक ही प्रांगण से संचालित हो।

(2) बर्तन वितरण के शुभारम्भ होने के अवसर पर आयोजित कार्यकमों का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए एवं विद्यालय प्रांगण में आयोजित बर्तन वितरण कार्यकम के सफल संचालन के

दृष्टिगत जनप्रतिनिधिगण यथा–मा0 सांसद/मा0 विधायकगण/ जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत/नगर निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधिगण को ससम्मान आमंत्रित कर आवश्यक सहभागिता प्राप्त की जाये।

(3) बर्तन वितरण के अवसर पर कार्यक्रम स्थल पर बैनर लगवाया जायेगा। (संलग्न प्रारूप)

(4) बर्तन वितरण कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार समाचार पत्रों, इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं सोशल मीडिया आदि के माध्यम से कराया जाये, जिससे जनसामान्य को कार्यक्रम की जानकारी प्राप्त हो सके।

(5) बर्तन वितरण कार्यक्रम के अवसर पर मध्यान्ह भोजन में विशेष व्यंजन का वितरण कराया जा सकता है।

अतः आप समस्त को सुलभ संदर्भ हेतु शासनादेश की प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि शासनादेशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। लापरवाही की दशा में आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें।

संलग्नकः–उक्तवत्।

22/10/16

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
मऊ।

पृ0सं0:– ——— /2016–17 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदय, मऊ।
2. निदेशक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ।
3. शिक्षा निदेशक (बे0) उ0प्र0 लखनऊ।
4. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) आजमगढ़।
5. मुख्य विकास अधिकारी मऊ।
6. जिला विद्यालय निरीक्षक मऊ।
7. वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा मऊ।
8. जिला सूचना अधिकारी मऊ को इस अनुरोध के साथ कि जनहित/छात्रहित/योजना के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु सम्मानित समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
9. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी मऊ को इस अनुरोध के साथ कि जनहित/छात्रहित/योजना के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु एन0आई0सी0 के वेवसाइट पर लोड करने का कष्ट करें।
10. साथ ही नगर शिक्षा अधिकारी को निदेशित किया जाता है कि अपने विकास खण्ड के ऐसे विद्यालयों की सूची आज ही जिला समन्वयक मध्यान्ह भोजन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जहां पर प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय एक ही प्रांगण में संचालित हो। जिससे दिनांक 28.10.2016 को ऐसे विद्यालयों पर अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को शासन द्वारा उपलब्ध कराये गये बर्तन का वितरण कर शासन की महत्वाकांक्षी योजना का शुभारम्भ किया जा सके।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
मऊ